

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा  
130/2017

किस्म मुकदमा  
धारा 91 एल.आर.एक्ट  
रज्जु दिनांक  
06.11.2017

निर्णय दिनांक  
21.12.2017

उनवान सरकार बनाम श्री प्रभदयाल पुत्र झब्बु जाति अहीर निवासी सहड  
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड की राजकीय भूमि गै0मु0जोहड़ ख0न0 209 कुल रकबा 31.50 है0 किस्म गै0मु0जोहड़ में से 0.11 है0 भूमि पर अतिक्रमी श्री प्रभदयाल पुत्र झब्बु जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से तार बाड़ बनाकर कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। साक्ष्य/सबुत नोटिस जबाब पेश जाने में असफल रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में तार बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तार बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 12.32/— का अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.11 की 50 गुणा जुर्माना राशि 6/— बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसेला हो।

आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भैवरराल कुमावत)

नायब तहसीलदार बुहाना  
(कार्यवाहक तहसीलदार बुहाना)

13  
8 6

Suman